अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा पर कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां और लेखे को कम्पनी नियमावली 2014 में अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित आवश्यकता प्रदान करती हैः

- व्यवसायिक आचरण (धारा 149 (8) और उसकी अनुसूची IV) के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कतिपय समितियों जैसे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा {धारा 173(1)}।

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पुराने प्रावधानो को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 जो 1 दिसम्बर से लागू हुई, को अधिसूचित किया।

सेबी ने (13 अक्टूबर 2015) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकीकृत सूचीबद्ध करार प्रपत्र जारी किया जिसके द्वारा सभी सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये विनियम 22 दिसम्बर 2015, 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017 और 15 फरवरी 2017 को संशोधित किए गए थे।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर मई, 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसई के लिए लागू किए गए हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टों

और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशार्निदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसई के एमओयूस में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसई का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों/विनियमन के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.4 चयनित सीपीएसई द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2017 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 636 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। सीपीएसई को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसई से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों, सेबी द्वारा जारी (अप्रैल तथा सितम्बर 2014) दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी और निर्धारण रूपरेखा में वर्ष 2016-17 के दौरान इन प्रावधानों का विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा अनुपालन को प्रदर्शित किया गया था। समीक्षा में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 52 सीपीएसई (48 सूचीबद्ध सीपीएसई और 4 सीपीएसई जिनके बाण्ड सूचीबद्ध थे) शामिल किए गए हैं। सीपीएसई की सूची **परिशिष्ट-VII** में दी गई है।

3.2 निदेशक मण्डल का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) में अनुबद्ध है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-

कार्रकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 *प्रतिशत* से कम नहीं होने चाहिए।

तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में, कुल बोर्ड संख्या के 50 प्रतिशत से कम संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं।

तालिका 3.1 सीपीएसई जहां गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 *प्रतिशत* से कम थे

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	11	5	45.55
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7	2	29.57
3	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड	7	2	29.57
4	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	3	42.85
5	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	13	5	38.46
6	एनटीपीसी लिमिटेड	12	5	41.67
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	2	33.33

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

प्रबन्धन के निर्णयों स्वतन्त्र विचार देने में समर्थ बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4), कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली 2014 के अध्याय XI के नियम 4, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II) (ए) (2), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.14 के अनुसार जहॉ बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहॉ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी) (1) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामिती निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक बोर्ड के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नही थीः

तालिका 3.2: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
1	एनएमडीसी लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
2	केआईओसीएल लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	2
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
4	एचएमटी लिमिटेड	5	गैर-कार्यकारी	2	1
5	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8	गैर-कार्यकारी	3	1
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	5
7	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	गैर-कार्यकारी	4	2
8	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
9	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	4	कार्यकारी	2	1
10	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
11	बीईएमएल लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
12	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
13	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	9	कार्यकारी	5	3
14	महानगर टेलीफोन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
15	आईटीआई लिमिटेड	6	रिक्त		1
16	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	15	कार्यकारी	8	6
17	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
19	बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
20	एंड्रयू यूल एंड कॉ लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
21	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
22	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	16	कार्यकारी	8	7
23	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
24	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
25	एमएमटीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
26	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
27	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	3
28	गेल (इंडिया) लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
29	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5

30	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
31	एनटीपीसी लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
32	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
33	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
34	एनएचपीसी लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
35	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	1
36	एसजेवीएन लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
37	मोइल लिमिटेड	6	कार्यकारी	3	2

तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसई जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड
4	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1), कम्पनी (निदेशको की नियुक्ति तथा योग्यता) विनियमावली, 2014 के अध्याय XI का नियम 3 तथा सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियमन 17 (1)(ए) निर्धारित करता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। तालिका 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसईस में, निदेशक बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.4: अपने बोर्ड में महिला निदेशक न रखने वाले सीपीएसई

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी
3	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	एमएमटीसी लिमिटेड

6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड
8	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.3 स्वतन्त्र निदेशको की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति

3.3.1 नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी करना

सूचीबद्ध करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) अनुबद्ध करता है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में सूचीबद्ध सीपीएसई में शर्तो एवं निबंधन का विवरण देने वाला कोई भी नियुक्तिपत्र, जारी नहीं किया गया था:

तालिका 3.5 सीपीएसई द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को जारी न किए गए नियुक्ति पत्र

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	भारतीय रेल वित्त निगम
3	आईटीआई लिमिटेड
4	एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
6	एनएचपीसी लिमिटेड
7	एसजेवीएन लिमिटेड
8	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

3.3.2 आचार संहिता

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17 (5)(ख) अनुबद्ध करता हैं कि निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित आचार संहिता कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा निर्धारित के कर्तव्यों को शामिल करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV स्वतंत्र निदेशक के लिए संहिता की व्यवस्था करती है

(पैरा-III स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य)। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में आचार संहिता स्वतन्त्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं करता है।

3.3.3 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.3.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा-III स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य), सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ख) (7) (क) और (ख) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (7) में प्रावधान है कि कम्पनी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाएं, अधिकार, कम्पनी में उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कम्पनी संचालित होती है, कम्पनी के व्यापार मॉडल इत्यादि के विषय में परिचित करायेगी। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.6 में सूचीबद्ध सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो 2016-17 के दौरान बोर्ड में थे।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
2	भारतीय रेल वित्त निगम
3	भारत इम्यूनोलॉजिकल एण्ड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.3.3.2 इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 46(2) (i) और अनुसूची V (सी) (2) (जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उद्घोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.7 में सूचीबद्ध सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उसका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.7: सीपीएसई, जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
5	भारतीय रेल वित्त निगम

6	महानगर टेलीफोन लिमिटेड
7	भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान कार्बनिक केमिक्लस मिलमिटेड

3.3.4 निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.8 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.8: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	एनएमडीसी लिमिटेड	3	-
2	केआईओसीएल लिमिटेड	2	2
3	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2	1
4	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	1
5	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	1	-
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4	1
7	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2	2
8	भारतीय रेल वित्त निगम	1	1
9	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2	-
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2	1
11	कोल इंडिया लिमिटेड	3	2
12	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	5	1
13	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	2	1
14	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	-
15	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2	-
16	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन	1	2

	लिमिटेड		
17	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2
18	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	3	4
19	इंडिया टूरिजम डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन	1	-
20	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2
21	गेल (इंडिया) लिमिटेड	2	-
22	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	4	4
23	आईएफसीआई लिमिटेड	3	1
24	एनटीपीसी लिमिटेड	3	2
25	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	-
26	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	6	1
27	एनएचपीसी लिमिटेड	4	2
28	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	1
29	मोइल लिमिटेड	3	2

3.3.5 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(5) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेना होगा। तालिका 3.9 में ऐसे सीपीएसई सूचीबद्ध हैं, जहां स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनियों की सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.9: स्वतंत्र निदेशक, जिन्होंने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	केआईओसीएल लिमिटेड	5
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
3	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2
4	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1
5	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	1
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1
7	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2
8	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
9	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	2

10	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3
11	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1
12	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1
14	आईएफसीआई लिमिटेड	2
15	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	1
16	एनएचपीसी लिमिटेड	1
17	मोइल लिमिटेड	1
18	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	1

3.3.6 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.6.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(1), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(3) और सूचीगत करार के खंड 49 II बी(6) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों तथा प्रबंधंन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना मिलना होगा। तालिका 3.10 ऐसे सीपीएसई दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.3.6.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे। तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.11: सीपीएसई जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
3	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड

4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5	आईएफसीआई लिमिटेड

यद्यपि पृथक बैठक आयोजित की गई थी लेकिन तालिका 3.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में बैठक का कोई कार्यवृत्त नहीं बनाया गया था।

तालिका 3.12: सीपीएसई जहां पृथक बैठक का कार्यवृत्त नहीं बनाया गया

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
4.	गेल (इंडिया) लिमिटेड

3.3.6.3 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII)(3), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के नियमन 25(4) तथा सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (बी)(6)(बी) में अपेक्षित है कि पृथक बैठक में स्वतंत्र निदेशक (क) गैर स्वतंत्र निदेशकों तथा पूर्ण रूप में बोर्ड के प्रदर्शन (ख) अध्यक्ष के निष्पादन (ग) प्रबन्धन और निदेशक बोर्ड जो बोर्ड के लिए उनके कर्त्तव्यो को प्रभावी तथा उपयुक्त रूप से करने के लिए अनिवार्य है, के बीच सूचना के प्रवाह के निर्धारण की समीक्षा करेंगे। तालिका 3.13 में दिए गए सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित की गई थी परन्तु ऐसी बैठकों मे उपरोक्त मामलों की समीक्षा नहीं की गई थीः

तालिका 3.13: सीपीएसई जहां अपेक्षित मामलों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
3	बीईएमएल लिमिटेड
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
5	भारतीय रेल वित्त निगम
6	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	कोल इंडिया लिमिटेड
9	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड
10	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

11	एंड्रयू येल एंड कम्पनी लिमिटेड
12	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
14	एमएमटीसी लिमिटेड
15	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
17	गेल (इंडिया) लिमिटेड
18	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
19	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
20	एनटीपीसी लिमिटेड
21	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23	एसजेवीएन लिमिटेड
24	मोइल लिमिटेड

इसके अलावा, न तो अधिनियम में और न ही विनियमों में यह प्रावधान किया गया कि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा ऐसा मूल्यांकन किसे प्रेषित किया जाना था।

3.3.7 स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा

सूचीगत करार के खण्ड 49(11)(बी)(5), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(10), और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VIII) में प्रावधान है कि सम्पूर्ण निदेशक बोर्ड (मूल्यांकित हो रहे निदेशको को छोड़कर) स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेंगे और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि विस्तारित या जारी रखी जाए। तालिका 3.14 उन सीपीएसई को दर्शाती है, जहां ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

तालिका 3.14: सीपीएसई, जहां बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	केआईओसीएल लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4	एचएमटी लिमिटेड
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
8	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
9	बीईएमएल लिमिटेड
10	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
11	भारतीय रेल वित्त निगम
12	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
13	आईटीआई लिमिटेड
14	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	कोल इंडिया लिमिटेड
16	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड
17	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
18	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
19	एंड्रयू येल एंड कम्पनी लिमिटेड
20	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
22	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
23	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
24	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
27	एमएमटीसी लिमिटेड
28	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
29	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
30	गेल (इंडिया) लिमिटेड
31	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
32	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
33	एनटीपीसी लिमिटेड
34	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
36	एनएचपीसी लिमिटेड
37	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
38	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

39	एसजेवीएन लिमिटेड
40	मोइल लिमिटेड
41	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति या नियुक्ति की अवधि का विस्तारण/निरंतरता निदेशक बोर्ड के अधिदेश में नहीं है। तथापि, न तो अधिनियम, और न ही विनियमों में यह प्रावधान है कि सीपीएसई के निदेशक बोर्ड द्वारा भेजे गए ऐसे निष्पादन मूल्यांकन को किसे भेजा जाना था।

3.4 निदेशक बोर्ड की बैठक का नोटिस

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) में वर्णित है कि निदेशक बोर्ड की बैठकों के लिए नोटिस ऐसी बैठकों से कम से कम सात दिन पहले परिचालित किया जाएगा। तालिका 3.15 उन सीपीएसई को दर्शाती है जहां ऐसी बैठकों के कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस परिचालित नहीं किया गया था।

तालिका 3.15: निदेशक बोर्ड की बैठक से कम से कम सात दिन पहले नोटिस परिचालित नहीं किया गया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
2	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
4	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
5	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	गेल (इंडिया) लिमिटेड
7	मोइल लिमिटेड

3.5 निदेशकों के पदों की भर्ती- कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (पैरा VI (2) त्याग पत्र या पद से हटाना) सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 25(6)

और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(डी)(4) में प्रावधान है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग-पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.16 में वर्णित सीपीएसई ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद काफी समय तक खाली पड़े रहे:

तालिका 3.16: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	महीनों में देरी के साथ भरा गया	महीनों में खाली रहना
1	केआईओसीएल लिमिटेड	-	08
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	28
3	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	28	
4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	-	24
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	04	-
6	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	-	39
7	बीईएमएल लिमिटेड	-	40
8	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	28
9	आईटीआई लिमिटेड	-	18
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	12
11	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड		12
12	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड		46
13	एंड्रयू येल एंड कम्पनी लिमिटेड	-	62
14	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	12
15	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	-	19
16	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	08
17	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12	-
18	गेल (इंडिया) लिमिटेड	-	25
19	एनटीपीसी लिमिटेड	-	08
20	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-	40
21	एनएचपीसी लिमिटेड	-	07
22	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	12
23	मोइल लिमिटेड	-	04

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि तालिका 3.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई, में कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थीः

तालिका 3.17: सीपीएसई जहां कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	चूक महीने में
1	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (संचालन)	09
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	निदेशक (एचआर)	14
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	07
4	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (परियोजनाएं)	06
5	आईटीआई लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	21
6	एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	12
7	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	08 09
8	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	निदेशक (विपणन) निदेशक (वित्त)	13 07
9	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	07
10	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक (आर एण्ड डी)	31
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	निदेशक (बीडी) निदेशक (विपणन	30 18
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	15
13	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	13
14	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	12
15	एनटीपीसी लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	17
16	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	निदेशक (विद्युत)	07

3.6 लेखापरीक्षा समिति

3.6.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 में प्रावधान है कि न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि स्कूटर्स इंडिया लि. के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.18 में वर्णित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.18: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति में दो तिहाई स्वतन्त्र निदेशक नहीं थे।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
3	भारतीय रेल वित्त निगम
4	आईटीआई लिमिटेड
5	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
6	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.6.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए)(4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(डी) में प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगें। तथापि, तालिका 3.19 में सूचीबद्ध सीपीएसई की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2016-17 के दौरान आयोजित एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.19: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

4	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
5	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
6	महानगर टेलीफोन लिमिटेड
7	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
9	आईएफसीआई लिमिटेड
10	द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेन्सथ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

3.6.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

3.6.3.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 18 (2)(ए) और (बी) तथा सूचीबद्ध करार का खंड 49 (III)(बी) प्रावधान करते हैं कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा 120 दिनों से अधिक का समय दो बैठकों के बीच नहीं होगा। लेखापरीक्षा समिति में कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या या तो दो सदस्य या एक तिहाई, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए, परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थिति होने चाहिए।

एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड और एचएमटी लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम 4 बैठकें वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, तालिका 3.20 में सीपीएसई के संबंध में, वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त संख्या के दृष्टांत देखे गए थे:

तालिका 3.20: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त संख्या

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
2	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
4	आईटीआई लिमिटेड
5	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
7	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
8	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लि. के संबंध में, दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल था।

3.6.3.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 18(1) (एफ) तथा सूचीबद्ध करार का खंड 49(III)(ए)(5) प्रावधान करते हैं कि लेखापरीक्षा समिति ऐसे कार्यकारियों (तथा विशेष रूप से वित्त कार्य के अध्यक्ष) को आमंत्रित कर सकती है, जैसा वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपयुक्त समझें। लेखापरीक्षा समिति की बैठक कम्पनी के किसी कार्यकारी की उपस्थिति के बिना भी हो सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षक का एक प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितगण के रूप में उपस्थित हो सकते है।

पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन आफॅ इंडिया लिमिटेड के संबंध में, हालांकि वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था। तथापि, वित्त निदेशक एक बैठक में और आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की चारों बैठकों में उपस्थित नहीं थे।

3.6.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(डी)(11) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तालिका 3.21 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

तालिका 3.21: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	मोइल लिमिटेड

3.6.5 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा, सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. के संबंध में ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

3.6.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता

3.6.6.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(13) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के कार्यकारी प्रमुख की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, तो उसकी पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.22 में दिए गए निम्नलिखित सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.22: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	मोइल लिमिटेड

3.6.6.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। यह भी पाया गया कि मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ कोई चर्चा नहीं की थी।

3.6.7 सीएजी के अनुपूरक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

3.6.7.1 सांविधिक अधिदेश के अनुसार, सभी सीपीएसई भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) (iii) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, सीपीएसई के मामले में, सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है।

तालिका 3.23 में दिए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रबंधन पत्र, सीएजी की टिप्पणियों, लेखापरीक्षा पैराग्राफ, सीएजी रिपोर्ट में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं तथा पूरक लेखापरीक्षा करने के बाद जारी सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.23: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएलसी लिमिटेड
2	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	एनटीपीसी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3.6.7.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें), नियमावली 2015 के खण्ड II के विनियम 18 (3) तथा भाग सी (बी) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति (i) प्रबंधन विचार-विमर्श और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों के विश्लेषण, (ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों (लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा परिभाषित) के विवरण, (iii) प्रबंधन पत्रों/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण खामियों के पत्रों पर, (iv) आंतरिक नियंत्रण खामियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित सूचना की अनिवार्य रूप से समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक शर्तों तथा इससे विचलनों

का विवरण लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगे। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के संबंध में इसकी समीक्षा नहीं की गई थी।

3.6.7.3 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(16) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के भाग सी(ए)(16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। तालिका 3.24 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने ऐसी चर्चाएं नहीं की।

तालिका 3.24: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समितियों ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	चर्चा नहीं की गई
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	पूर्व लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा
2	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	लेखापरीक्षा - पूर्व
3	भारतीय रेल वित्त निगम	पूर्व लेखापरीक्षा और पश्च लेखापरीक्षा
4	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व लेखापरीक्षा
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	पूर्व लेखापरीक्षा

3.7 अन्य समितियां

3.7.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1), कम्पनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां), नियमावली 2014, सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV)(ए) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 19(1) तथा (2) यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें सभी, गैर-कार्यकारी निदेशक

होंगे तथा कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी जैसाकि तालिका 3.25 में उल्लेख किया गया है। यद्यपि कुछ सीपीएसई में समिति का गठन किया गया था किन्तु तीन निदेशक और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होने की आवश्यकता पूर्ण नहीं की गई थी।

तालिका 3.25: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
4	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
5	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक न रखने वाले सीपीएसई का विवरण तालिका 3.26 में दिया गया है।

तालिका 3.26: नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक न रखने वाले सीपीएसई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
2	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड
6	बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.7.2 पणधारक संबंध समिति

कम्पनी अधनियम, 2013 की धारा 178 (5), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 20(1) में अपेक्षित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक संबंध समिति का गठन करेगी। यह देखा गया कि तालिका 3.27 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई थी।

तालिका 3.27: पणधारक संबंध समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
2	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

3.7.3 धारा 177 (लेखापरीक्षा समिति) तथा धारा 178 (नामंकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं पणधारक संबंध समिति) के किसी उल्लंघन के मामले में कम्पनी पर जुर्माना लगाया जाएगा जो एक लाख से कम नहीं होगा और पांच लाख रूपए तक बढाया जा सकता है और कम्पनी के प्रत्येक अधिकारी, जो चूककर्ता है, को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जाएगा जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा एवं इसे एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों। तथापि, यह देखा गया कि 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई।

3.8 चेतावनी तंत्र

3.8.1 कम्पनी अधनियम, 2013 की धारा 177 (9), कम्पनी (बोर्ड की बैठके एवं इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 7, सूचीबद्ध करार के संशोधित खण्ड 49(।।)(एफ) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 22(1) तथा (2) अनुबंधित करते हैं कि कम्पनी निदेशकों तथा कर्मचारियों के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संभावित धोखाधड़ी अथवा कम्पनी की आचार-संहिता या नीतिगत नीतियों के विषय में सूचना देने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना करेगी। यह पाया गया कि तालिका 3.28 में सूचीबद्ध सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.28 : चेतावनी तंत्र न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
2	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

3.8.2 कम्पनी अधनियम, 2013 की अनुसूची IV पैरा III (10) और सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(।।।)(डी) 18 तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची ।। के विनियम 18 (3) भाग सी (ए) (18) में लेखापरीक्षा समिति

द्वारा 'चेतावनी तंत्र' के कार्यों की समीक्षा करने का प्रावधान है, यदि ऐसा तंत्र कम्पनी में हो । नीचे तालिका 3.29 में वर्णित सीपीएसई में, यद्यपि चेतावनी तंत्र मौजूद है तथापि लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.29 : चेतावनी तंत्र वाले सीपीएसई परन्तु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	भारतीय रेल वित्त निगम
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
5	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
6	स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

3.9 संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा, ऐसे महत्वपूर्ण संबधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारकों द्वारा समाधान के माध्यम से अनुमोदन किया जाना अपेक्षित है। तालिका 3.30 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई थी:

तालिका 3.30 : संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

3.10 सहायक कम्पनियों से संबधित नीति

सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(V)(डी) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 46(एच) तथा अनुसूची V(सी)(10)(ई) उल्लिखित करता है कि कम्पनी महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों का निर्धारण करने के लिए

एक नीति का निर्माण करेगी तथा ऐसी नीति वार्षिक रिपोर्ट में तथा वार्षिक रिपोर्ट में वेब-लिंक के साथ वेबसाइट पर तथा स्टॉक एक्सचेंज को प्रदर्शित करेगी। एचएमटी लिमिटेड के संबंध में ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया था।

3.11 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन

3.11.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(ए) तथा (एफ) और (जी) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी अपनी वेबसाइट पर (i) अपने व्यवसाय के विवरण, (ii) तत्संबंधी पार्टी संव्यवहारों से संबंधित नीति (iii)गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदण्डों पर सूचना प्रकट करेगी, बशर्ते कि इसे वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो। तालिका 3.31 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में वेबसाइट पर ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया था।

तालिका 3.31: सीपीएसई जिन्होंने वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन नहीं किया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
3	भारतीय अक्षय उर्जा विकास एजेंसी
4	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3.11.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2) (सी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों का संयोजन प्रस्तुत करेगी। तालिका 3.32 ऐसी सीपीएसई की सूची प्रस्तुत करती है जहां वेबसाइट में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

तालिका 3.32: वेबसाइट पर समितियों से संबंधित सूचना का प्रकटन न करना

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलोजिकल एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.12 अनुपालन रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27(2)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनो के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह पाया गया कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही के बदले वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3.13 निष्कर्ष

चयनित 52 सीपीएसई में से 04 सीपीएसई में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था और 37 सीपीएसई में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त नहीं किये गये थे; नौ सीपीएसई में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई थी; 23 सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशको की रिक्तियों को भरने में तीन माह से अधिक का विलम्ब पाया गया था; 16 सीपीएसई में बोर्ड में कार्यकारी निदेशको की रिक्तियां भरने में छः माह से अधिक का विलम्ब पाया गया; एक सीपीएसई में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; तीन सीपीएसई में कोई चेतावनी तंत्र स्थापित नहीं किया गया; पांच सीपीएसई में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई गई थी, दो सीपीएसई में कोई भी हितधारक संबंध समिति नहीं थी और तीन सीपीएसई में संबद्ध पार्टी संव्यवहारों पर कोई नीति नहीं थी।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने बताया (मार्च 2018) कि सीपीएसईज द्वारा संबंधित कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की चूक/मॉनिटरिंग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों पर भी निर्भर करती है जो अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में समय पर नियुक्ति के लिए जवाबदेह है।

इस अध्याय पर कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के उत्तर (मार्च 2018) को संबंधित पैराग्राफों में शामिल किया गया है।

3.14 सिफारिशें

भारत सरकार, दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों पर जोर दे ताकि सूचीबद्ध सीपीएसई में निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।